प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना - एक मुकम्मल धोखा

ए.आर. सिन्धु

आगामी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से ठीक एक महीने पहले, मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में *'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना'* नाम से असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए एक पेंशन योजना की घोषणा की, जो एक महीने में 15,000 रुपये से कम कमाते हैं, और इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से 7 फरवरी 2019 को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्री के अनुसार यह योजना, ''..... असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के 100 रुपये प्रति माह के योगदान के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है''। इसको करीब से जाँचने पर यह छल–कपट और मजदूरों के साथ एक खुल्लमखुल्ला धोखा साबित होता है।

वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार इस योजना के तहत कवर किए गए हर असंगठित मजदूर के लिए 100 रुपये का समान योगदान करेगी और *''इस योजना से 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा, पाँच वर्षों में असंगठित क्षेत्र के लिए यह दुनियां की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है''*। बाद में प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वे सभी 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कवर करने जा रहे हैं। लेकिन बजट में जिस सरकार ने गौ रक्षा के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, उसी ने 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कवर करने के लिए केवल 500 करोड़ रुपये का ही आवंटन किया, जबकि मंत्री के अनुसार ये मजदूर *''देश के सकल घरेलू उत्पाद का आधा उत्पादन करते हैं''!*

पांच साल में घोषणाः भाजपा, जिसने 2014 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में *"सभी प्रकार के मजदूरों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने"* का वादा किया था, ने अगले लोकसभा चुनाव से ठीक एक माह पहले इस योजना की घोषणा की। इस योजना को 'असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008' के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके पांच वर्षों के शासन में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने तीन आम हड़तालें आयोजित कीं, जिनमें सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और प्रति माह 6,000 रुपये की पेंशन एक प्रमुख मांग थी। भाजपा ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को तब तक याद नहीं किया जब तक चुनाव घोषित नहीं हो गये। यह एनडीए सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए सबसे बड़े चुनावी तमाशों में से एक *'चुनावी जूमला'* है।

मजदूरों के लिए अव्यवहार्यः एक प्राथमिक जाँच से ही पता चलता है कि इस योजना में हमारे देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जमीनी वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखा गया। योजना की माँग है कि एक मजदूर को पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 20 वर्षों तक नियमित रूप से प्रति माह 55 से 200 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में खेत मजदूर भी शामिल हैं, जिन्हें साल में सौ दिन से भी कम काम मिलता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में एक अच्छी खासी संख्या प्रवासी मजदूरों की है, जिन्हें काम की जगह भी बदलनी पड़ती है। मजदूरों के लिए निर्बाध रूप से प्रीमियम का भुगतान करना संभव नहीं होगा और उनका पैसा पेंशन फंड द्वारा हजम करने के साथ समाप्त हो जाएगा।

सबसे ज्यादा जरूरतमंदों को बाहर करनाः जो योजना असंगठित क्षेत्र के 'सभी' श्रमिकों को कवर करने का दावा करती है, जिसमें चालीस वर्ष से अधिक उम्र के लगभग बीस प्रतिशत मजदूरों शामिल नहीं हैं! bldk eryc g fd 40 lky l Åij dh Je'kfDr] tk lcl T;knk t:jren rcdk g] bl ;ktuk e 'kkfey gh ugh gk ldrkA

अगले 20 वर्षों तक किसी को लाभ नहीं होने वाला है: 40 वर्ष की आयु से ऊपर के मजदूरों को बाहर रखने का मतलब है कि अगले 20 वर्षों तक किसी भी मजदूर को कोई लाभ होने वाला नहीं है! और 18 वर्ष से अधिक आयु का मजदूर अगले 42 वर्षों तक सरकार को भुगतान करता रहेगा।

अगले 20 वर्षों तक प्रीमियम के रूप में 10 करोड़ मजदूर सालाना 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान करते रहेंगे; यानी कि गरीब रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी मजदूर (स्ट्रीट वेंडर), मिड डे मील वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स, मनरेगा वर्कर्स, आशा वर्कर्स आदि सभी 20 साल में एक पैसा भी वापस मिले बिना, रु० 2,40,000 करोड का भुगतान सरकार को करेंगे! यह इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जिनके पास कोई स्थायी आमदनी भी नहीं है, से इतनी बड़ी राशि का भुगतान लेकर सरकार उसका उपयोग कॉपोरेट्स के वित्तपोषण के लिए कर सकती है।

अगर हम यह मान लें कि सरकार के दावे का दसवां हिस्सा ही शामिल हो गया है, यानी एक करोड़ मजदूर नामांकित हुए तो वे सरकार को एक साल में 1200 करोड़ रुपये और 20 साल में 24,000 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे। सरकार द्वारा तथाकथित समान राशि के योगदान के लिए मोदी सरकार ने 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

केवल पति या पत्नी ही नामित हो सकते हैं: मजदूरों को लूटने के लिए डिजाइन की गई इस अजीब योजना में, केवल मजदूर का जीवनसाथी (पति/पत्नी) ही नामित व्यक्ति हो सकता है। इसका अर्थ है कि जो मजदूर एकल, विधवा या विधुर हैं और यदि उसकी मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, तो पूरी राशि फण्ड द्वारा हजम कर ली जाएगी और उसके परिजनों को कोई पैसा नहीं मिलेगा। केवल पति या पत्नी को संचित धन मिलेगा या वह योजना में जारी रह सकता है।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कई महिलाएँ विधवा हैं। यहाँ तक कि अगर श्रमिक (यहाँ तक कि दुर्घटना में भी) मर जाता है और उसके बच्चे नाबालिग हैं, तो भी उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा।

किसी मजदूर की दुर्घटना और स्थाई अपंगता के मामले में, या तो उसका जीवनसाथी योजना में रह सकता है अथवा उसे केवल उसके द्वारा भुगतान की गई राशि ही वापस मिल सकती है। किसी अन्य लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। एलआईसी की कई योजनाओं में इससे बेहतर प्रावधान हैं।

पक्की पेंशन, रु० 3000 प्रति माह: सरकार ने घोषणा की है कि मजदूरों को प्रतिमाह रु० 3,000 की मासिक पेंशन मिलेगी। लेकिन ईपीएफ में संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी, गारंटीकृत पेंशन केवल रु० 1000 प्रतिमाह (वह भी अभी हाल ही में) है। भारत सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि यह वादा भी पूरा हो सकेगा। चाहे ही यह वादा पूरा भी हो, और अगर हम महंगाई पर विचार करें तो 20 साल बाद रु० 3,000 का वास्तविक मूल्य, तो रु० 1,000 रुपये से भी कम होगा। मौजूदा कीमतों के स्तर पर ट्रेड यूनियन आंदोलन सभी मजदूरों के लिए न्यूनतम रु० 6,000 की मासिक पेंशन की मांग कर रहा है। बहुत अधिक बड़बोली पेंशन योजना में जानबूझकर पेंशन राशि के सूचीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

ब्याज की गणना के अनुसार मजदूर नुकसान में: इस योजना के माध्यम से मजदूरों की लूट के बारे में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। नेशनल हेराल्ड दैनिक के अनुसार, गणना इस तरह से होगी: योजना में शामिल होने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को प्रति माह 55 रुपये का भुगतान किया जाएगा, सरकार के योगदान को मिलाकर यह प्रति माह 110 रुपये होगा। उसे 42 वर्ष तक (60 वर्ष की आयु तक) राशि का भुगतान करना होगा। यदि यह आवर्ती जमा में डाला जाता है, तो 42 वर्षों के बाद इसका रिटर्न रु० 5,76,315 होगा! और यदि हम इस राशि को सावधि जमा में रखते हैं तो मासिक ब्याज 5042 रुपये

होगा! इसका मतलब है कि मजदूर को प्रति माह रू० 2,042 की हानि होगी और साथ ही मूल राशि रु० 5,76,315 हड़प ली जाएगी।

यदि हम भारत में किसी भी कमर्सियल बैंक के ब्याज दरों के अनुसार देखें, तो 42 वर्षों में, इस आवर्ती जमा योजना के माध्यम से संचित राशि रु० 4,48,922 होगी और इसका मासिक ब्याज रु० 3,367 होगा! तो, मासिक घाटा 367 रुपये होगा और इसके अलावा संचित राशि के रु० 4,48,922 भी खो देंगे!

योजना श्रमिकः सरकार आँगनवाड़ी वर्कर्स एवं सहायिकाओं, आशा वर्कर्स और यहाँ तक कि मनरेगा मजदूरों (जो एक परिवार में 100 से कम दिनों के लिए ही काम पाते हैं) आदि के नामांकन के लिए जोर दे रही हैं, जबकि न तो बजट भाषण में और ना ही अधिसूचना में इन वर्गों को शामिल किया गया और ना ही केंद्रीय मंत्रालयों ने इस संबंध में राज्यों को कोई पत्र जारी किये हैं।

सरकार का दावा है कि दस दिनों में 14 लाख से अधिक मजदूर नामांकित हुए हैं। योजना आपके बैंक खाते को जोड़ने की आवश्यकता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं सहायिका, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स सभी के बैंक खाते हैं और उनके खाते से पैसे काटे जा सकते हैं। इसलिए सरकार उन्हें शामिल करने पर जोर दे रही है ताकि भुगतान नियमित हो सके।

पांडिचेरी में, जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं सहायकों को प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक वेतन मिलता है, लेकिन पेंशन नहीं है, इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। केरल, हरियाणा, तेलंगाना, एपी आदि जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रति माह लगभग 12,000 रुपये मिल रहे हैं, और वृद्धि के वादे हैं, योजना के तहत प्रति माह रु० 15,000 वेतन होने पर उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा।

बहुत अधिक वापसी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं हैः भारतीय जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा (life expectancy) लगभग 68 वर्ष है। यह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही कम होगा और यह 65 वर्ष या उससे कम हो सकता है। अनुभव बताता है कि कुपोषित, भूखा मजदूर 60 साल तक भी जीवित नहीं रहेगा। जिन मजदूरों के पास नियमित आय नहीं है, उन्हें प्रीमियम का भुगतान करना मुश्किल होगा। तो वो सारा पैसा फंड में ही चला जाएगा।

ईपीएफ, ईएसआई या व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना

यदि सरकार का इरादा अच्छा है, तो वह ईपीएफ और ईएसआई योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शामिल क्यों नहीं कर सकती या ऐसी योजनाओं को शुरू करती है, जिनसे करोड़ों मजदूरों को लाभ हुआ है और व्यापक स्वीकार्यता और विश्वसनीयता भी अर्जित की है।

ईपीएफ में ऋण और पेंशन, आंशिक निकासी के प्रावधान हैं और संचित राशि भी मजदूर और उसके/उसके नामांकित व्यक्ति की है। यह सरकार जिसने चुनावों से ठीक एक महीने पहले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की थी, उसका संबंध इससे नहीं हैं कि ईपीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं में भी उसके कानूनी रूप से हकदार 50% से कम मजदूर ही शामिल हैं और नामांकन के लिए कोई कार्यक्रम भी नहीं है। इसके बजाय सरकार अब नियोक्ताओं के हिस्से का भुगतान कर रही है, लेकिन ईपीएफ में कर्मचारियों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.पी.वाई.) के तहत नए रोजगार के नाम पर नहीं! जबकि इस योजना के लिए आवंटन मात्र 500 करोड़ रुपये है, सरकार ने पहले ही ई.पी.एफ.ओ. में नियोक्ताओं के योगदान के लिए रु० 3648 करोड़ से अधिक का भुगतान कर चुकी है।

इसके अलावा, ऐसी रिपोर्टें हैं कि ईपीएफओ में मजदूरों की एक बड़ी राशि, बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद, आईएल एंड एफएस इन्वेस्टर कंपनी में शेयर बाजार के व्यावसायिक बाण्ड में निवेश की गई थी, कंपनी के दिवालिया होने के साथ वह राशि पूरी तरह से खो गई है। सरकार कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। पी.एम.एस.वाई.एम. योजना में जमा होने वाले फंड पर भी उसी तरह के जोखिम का अंदेशा है।

खेत मजदूरों और किसानों सहित कामकाजी जनता के सभी तबकों के लिए, पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना आज के समय की आवश्यकता है जिसमें मातृत्व, दुर्घटना सुरक्षा, पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति, बच्चों की शिक्षा आदि के साथ स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाए, और पंजीकरण के वास्ते इनसे सिर्फ एक सांकेतिक योगदान ही लिया जाये।